

पूरा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

कुख्यात नशे का तस्कर पिंटू गिरफ्तार

जस्सा की तलाश में दबिश देने गई थी पुलिस

नवभारत न्यूज
सतना 04 अप्रैल. वर्षाकाल में जिले में सामान्य औसत वर्षा से कम वर्षा होने तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में भू-गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण जिले के समस्त विकासखण्ड एवं नगरीय और शहरी क्षेत्रों के नलकूपों एवं अन्य जल स्रोतों के जल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। जिससे पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने की संभावना है।

जिले में पेयजल संकट की स्थिति पर नियंत्रण के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धारा-

तेजी से गिर रहे जल

3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जनहित में सतना (राजस्व) जिले के समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय, शहरी क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिये जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस अवधि में निजी नलकूप के खनन को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्हीं भी

स्तर के मददेनजर प्रशासन ने लिया फैसला

साधनों द्वारा जल का उपयोग नहीं करेगा। जिले के समस्त नदी, नालों, स्टांपडेम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्रोतों का उपयोग घरेलू प्रयोजन के लिये किया जायेगा। जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राइवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय

(राजस्व) को आवेदन करना होगा। इस कार्य के लिये समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुमति

देने के पूर्व आवश्यक जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करेंगे तथा अनुमति दिये जाने के संबंध में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अभिमत या अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

एसडीएम को दिया गया पानी आपूर्ति का दायित्व

जारी आदेशानुसार सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाने के कारण वैकल्पिक रूप से दूसरा कोई सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्रोत को पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 के सेक्शन 4 (ए) तथा 4 (बी) के प्रावधानों के अधीन अधिग्रहण निश्चित अवधि के लिये कर सकेंगे। आदेश के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नवभारत न्यूज

सतना, 4 अप्रैल. गाँजा, शराब और कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार करने वाले जस्सा गैंग का मुख्य सरगना विपिन जायसवाल उर्फ पिंटू तीसरी रेड में पुलिस के हथ्ये चढ़ा है। इसके पहले दो दफा पुलिस दबिश देकर लौट चुकी थी।

पकड़ में आने के बाद उसके कब्जे से उचेहरा थाना पुलिस ने तीन लंगरी गाड़ि?, एक ट्रैक्टर जब्त किया है। यह चारों वाहन नशीले पदार्थों का परिवहन करने में उपयोग किए जाते थे। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के निर्देशन पर उचेहरा थाना पुलिस की यह सक्रिय कार्यवाही एएसपी प्रेमलाल कुर्वे, एसडीओपी रघु केशरी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उचेहरा निरीक्षक सतीश मिश्रा की टीम ने की है।

केस- 1

उचेहरा थाना पुलिस ने 16 जनवरी को ग्राम मड?ई में चौरसिया बाई साकेत के घर से 120 पेटो ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त कर आरोपी मनीष यादव निवासी भुरहुरा, शैलेन्द्र उर्फ टिंकू गुप्ता निवासी भुरहुरा, चौरसिया बाई साकेत निवासी मड?ई, सोनेन्द्र उर्फ बड़े भईया उर्फ सोनेलाल एवं दानेन्द्र उर्फ पंकज सिंह दोनों निवासी महाराजपुर थाना उचेहरा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था। घटना का मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ विपिन जायसवाल पिता अमृतलाल जायसवाल (40) निवासी पोंड़ी तब से फरार था।

केस- 2

इसी तरह दूसरी दबिश 17 जनवरी को ग्राम सखौहा खुर्द में देते हुए रामाधार चौधरी के घर से 15 प्लास्टिक की बोरियों में 400 किलोग्राम गाँजा जब्त कर आरोपी रामाधार चौधरी पिता बाबूलाल चौधरी निवासी सखौहा खुर्द को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आरोपी सोनेन्द्र उर्फ बड़े भईया उर्फ सोनेलाल एवं दानेन्द्र उर्फ पंकज सिंह दोनों निवासी महाराजपुर को 28 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। इस प्रकरण में भी मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ विपिन जायसवाल को तलाश चल रही थी।

कार्रवाई में जिन वाहनों की हुई जब्ती

मादक पदार्थों के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहन सेल्टास कार एम्पी 19 सीडी 0842, स्वीप्ट कार यूपी 95 एम 8390, एक्सयूटी कार एम्पी 19 सीए 8395, एक आईसर ट्रेक्टर जब्त किया गया है। सभी जब्त वाहनों की कीमत 40,50,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिंटू के खिलाफ पूर्व से सतना और महार जिला के थाना नागोद, अमरस, उचेहरा में एनडीपीएस एक्ट, ड्रग कंट्रोल अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत 21 अपराध पंजीबद्ध हैं।



मंदिर में चोरी के आरोपी मां-बेटा गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
सतना, 4 अप्रैल. मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी करने वाले मां-बेटे को कोलगवां पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने सेमरिया चौक स्थित सिद्धदात्री मंदिर का दरवाजा तोड़कर नकदी व जेवर पार कर दिए थे.

थाना प्रभारी कोलगवां निरीक्षक सुदीप सोनी एवं टीम द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसार 2 अप्रैल को फरियादी रमाशंकर दुबे पिता देवराज दुबे उम्र 54 वर्ष निवासी भरहुत नगर थाना कोलगवां जिला सतना ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 29 मार्च को रात्रि सिद्धदात्री मंदिर पुराना राज्य परिवहन डिपो के पट बंद करके 10 बजे रात मंदिर के अन्दर ही सो गया द 30 मार्च को सुबह 04.00 बजे पुनः उठ देखा तो

मंदिर के स्टोर रूम में लगा प्लाई का दरवाजा कोई अज्ञात व्यक्ति तोड़कर स्टोर के अन्दर रखी आलमारी का ताला खोलकर आलमारी में रखी नगदी व सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा 331 (4) 305 (ए) बीएनएस का अपराध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पृथक-पृथक टीमों गठित की गई। सभी को अलग-अलग टास्क देकर कार्य में लगाया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर संदेही रोशन केशरवानी पिता दिलीप केशरवानी उम्र 19 वर्ष निवासी गोपाल कालोनी टिकुरिया टोला थाना कोलगवां सतना को अभिरक्षा में लेकर पृच्छाछ की गई। जिसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया.

भरजुना में मारपीट करने वाले दो और आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
सतना, 4 अप्रैल. अडीबाजी कर शराब पीने के लिए पैसे मांगने वाले फरार आरोपियों को कोलगवां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कोलगवां निरीक्षक सुदीप सोनी एवं टीम द्वारा की गई कार्यवाही के अनुसार 2 अप्रैल को फरियादी लक्ष्मी दाहिया पिता कन्हैयालाल दाहिया उम्र 42 वर्ष निवासी टिकुरिया टोला बाईपास दुर्गा नगर बाई न.37 थाना कोलगवां जिला सतना ने मौखिक रिपोर्ट किया कि 01 अप्रैल को मे मोहल्ले में दुर्गा नगर मंदिर से जवा को लेकर अपने मोहल्ले के सभोजनों के साथ



ट्रैक्टर ट्राली, कार से भरजुना मंदिर गये हुये थे रात्रि करीबन 10 बजे समापन हुआ फिर भरजुना मंदिर से सकुशल अपने घर वापस आ रहे थे जैसे ही रात्रि समय करीबन 10.30 बजे साईडिंग पहुंचे वहीं पर समीर खान पूर्व सरपंच एवं अलीम खान दोनों निवासी साईडिंग व उसके मोखिक रिपोर्ट किया कि 01 अप्रैल को मे मोहल्ले में दुर्गा नगर मंदिर से जवा को लेकर अपने मोहल्ले के सभोजनों के साथ



देने से मना करने पर सभी लोग मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये लाठी डंडा से मारपीट करने लगे एवं महिलाओं से अभद्रता करने लगे। मारपीट से कई लोगों को चोट आई है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 115(2), 119(1), 126(2), 191(2), 296(2), 324(4), 351 (3) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के पुलिस द्वारा

विधिवत कार्यवाही करते हुए मामले के दो आरोपियों को 03 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, शनिवार को मामले में फरार चले रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। गिरफ्तारशुदा आरोपी - 01-कृष्ण प्रताप दाहिया उर्फ के. पी. पिता शिवकुमार दाहिया उम्र 27 वर्ष निवासी साईडिंग थाना कोलगवां जिला सतना म.प्र. 02-तेजा उर्फ तेजु उर्फ धर्मेन्द्र दाहिया पिता सुरेश दाहिया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम साईडिंग थाना कोलगवां शामिल हैं.



किसानों के समर्थन में उतरी किसान कांग्रेस

नवभारत न्यूज
सतना, 4 अप्रैल. समर्थन मूल्य में गेहूँ खरीदी किए जाने में हो रही देरी और बारदाने यानी बोरो की कमी पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष संतोष पांडेय ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार खरीदी टलने से किसान औने-पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने शासन स्तर से किसानों की समस्या का समाधान अविलंब न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अध्यक्ष संतोष पांडेय शनिवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, गेहूँ खरीदी के लिए सरकार बार-बार तारीख बदल रही है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार खरीदी के लिए तारीख पर तारीख दे रही है। जिससे किसान न केवल परेशान है, बल्कि तमाम तरह

के कर्ज चुकाने और भरपूर-पोषण के लिए अपनी फसल को घाटे पर बेचने के लिए मजबूर है। सरकारी नुमाइंदे किसान की परेशानी समझने की बजाय उस पर कर्ज वसूली के लिए दबाव डाल रहे हैं।

किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वसूली के लिए जोर जबरदस्ती भी की जा रही है। संतोष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा करती है कि वह किसानों की हितैषी है, जबकि इस सरकार की नीतियां रीतियां समाज और देश हित में नहीं हैं। बताया गया कि गेहूँ खरीदी के लिए समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे 2700 रुपये करने को कहा जबकि जरूरत 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित करने की है।

नवभारत न्यूज

सतना, 4 अप्रैल. पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिरसिंहपुर में किया गया। इस शिविर में सतना लोकसभा सांसद गणेश सिंह भी शामिल हुए।

सांसद के पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सांसद गणेश सिंह ने सबसे पहले नए कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत परिचय लिया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का



उत्साहवर्धन किया और उन्हें पार्टी के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सांसद गणेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी

बिलिकिट कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन



लिए कंपनी, शासन, प्रशासन से चर्चा करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (ईटक) शहर सतना को विधिवत अधिकृत किया गया। ईटक के द्वारा सोमवार को

प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा जाएगा इस अवसर पर बिलकिट के लगभग 70 फोल्ड में काम करने वाले कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे।

अंत्योदय के सिद्धांतों के साथ देश विकास की ओर: गणेश



हैं। उन्होंने कार्यक्रमों में आह्वान किया कि वे इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएं और आम जनता को लाभान्वित करें। सांसद ने कहा कि मोदी युग में अंत्योदय के सिद्धांतों के साथ देश विकास की ओर बढ़ रहा है।

अंत्योदय भाजपा का मूल मंत्र

सांसद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि पहली सरकारें पक्षपात और अपना-पराया का भेद करती थीं। लेकिन भाजपा अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रही है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल सिद्धांत है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अंत्योदय की अवधारणा को विस्तार से बताया और सभी कार्यकर्ताओं को इसका अनुसरण करने की सलाह दी।



लायंस लंगर सेवा में खिचड़ी प्रसाद वितरित
सतना। लायंस क्लब सतना हैड्स सतना द्वारा शनिवार को डा. अभिनव चौरसिया के जन्मदिन पर लायंस क्लब सतना गैलेक्सी तथा अरुण त्रिपाठी बबलू की धर्मपत्नी की पुण्यतिथि पर त्रिपाठी परिवार एवं रीजर्वींग आयुष्य श्रीवास्तव के जन्मदिन पर श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-अनिल कुमार श्रीवास्तव परिवार की ओर से श्री नृमनजी जी मंदिर सी एम एच ओ आफिस के सामने धवारी सतना में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया जिसमें लगभग 600 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन मलिक, पूर्व रीजन चेयरपर्सन लायन आलोक त्रिपाठी, जोन चेयरपर्सन लायन धर्मेन्द्र सेन, लायन जितेन्द्र गर्ग, विनय कमल त्रिपाठी और मंदिर के पुजारी पं. जगन्नाथ महाराज एवं साथी उपस्थित रहे।

शोक सभा में दी गई श्रद्धांजलि



लोगों की उपस्थित में दो मिन्ट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कि गई की दिवंगत आत्मा को अपने शीर्चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोककुल परिवार को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।